न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी– श्री डॉ0 महेन्द्र खड़गावत, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 17/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023/02

प्रार्थी

जगनाथ तापडिया मैमोरियलय ट्रस्ट, जसवन्तगढ़ जरये कार्यकारी ट्रस्ट श्री बजरंगलाल तापडिया पुत्र श्री सुरजमल तापडिया, निवासी जसवन्तगढ़, तहसील लाडनूं।

बनाम

अप्रार्थीगण

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडनूं।

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 88 (2) राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

–:निर्णय:– **दिनांक : 18.11.2025**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप्त में निम्न प्रकार से हैः–ग्राम जसवंतगढ़ में रेल्वे स्टेशन के पास धर्मशाला मय चारदीवारी स्थित है, जिसका पट्टा ठिकाना खानपुर द्वारा कंवर गुमानसिंह ने दिसम्बर 1933 में लादूराम, शिवचंदराम, सुरजमल व गणपतलाल तापडिया पिसरान जगन्नाथ तापडिया जसवंतगढ़ के नाम जारी किया उक्त पट्टा जारी होने पर सन् 1934 में धर्मशाला बनाई गई जो रेल्वे स्टेशन के पास होने से यात्रियों के ठहरने व सामाजिक कार्यों के उपयोग में आती है। उक्त पट्टासुद भूमि के पट्टेदार लादूराम, सुरजमल, गणपतलाल, शिवचंद की मृत्यु हो जाने के पश्चात् उनके वारिसान में उक्त पट्टे की भूमि के बंटवारे का कार्य तुलछीराम बिहाणी को सौंपा गया, जिसके द्वारा वारिसान की सुनवाई व मौका निरीक्षण कर, उनके द्वारा पंच निर्णय दिनांक 19.11.2007 को जारी किया गया, जिसके अनुसार उक्त पट्टा सुदा भूमि जगन्नाथ तापडिया मैमोरियल ट्रस्ट जसवंतगढ़ प्रधान कार्यालय मुम्बई के नाम रखते हुए संचालन जगन्नाथ तापडिया द्वारा किये जाने का पंच निर्णय लिया गया। जिसको पट्टेदार के सभी वारिसों ने स्वीकार किया व पंच निर्णय का पंजीयन दिनांक 20.11.2007 को उपपंजीयक लाडनूं के यहाँ करवाया गया परन्तु तहसीलदार लाडनूं (अप्रार्थी) ने उक्त धर्मशाला की भूमि के खसरा नम्बर 378, 379 के राजस्व रेकार्ड में सरकारी खाते में दर्ज होने से 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जबकि उक्त भूमि ठिकाना खानपुर द्वारा नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। उक्त भूमि भू–राजस्व अधिनियम लागू होने से पूर्व ही धर्माशाला व बाउंड्री बनी हुई है फिर भी सेटलमेंट विभाग की लापरवाही व गलती से राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि दर्ज कर देने से कानूनी पेचीदगीया पैदा हुई है इसलिए खसरा नम्बर 378 रकबा 13 बिस्वा व 379 रकबा 2.6 बीघा भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में उक्त व प्रार्थी के नाम दर्ज करवाई जाने का प्रार्थना पत्र में अनुतोष चाहा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2026.04.01 15:00:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

प्रकरण में कार्यालय हाजा के पत्र क्रमांकः–301 दिनांक 24.07.2025 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी लाडनूं से रिपोर्ट ली गई। उपखण्ड अधिकारी लाडनूं के पत्रांकः–कोर्ट/2025/135 दिनांकः–18.08.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। उपखण्ड अधिकारी लाडनूं से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार ग्राम खानपुर वर्तमान ग्राम सुजला के खसरा नम्बर 378 रकबा 0.1052 हैक्टेयर किस्म गै.मु. धर्मशाला, खसरा नम्बर 1125/1123 रकबा 0.5059 हैक्टेयर किस्म बारानी 1, खसरा नम्बर 1056/379 रकबा 0.1619 हैक्टेयर किस्म चारागाह, खसरा नम्बर 1122/1057 रकबा 0.1619 हैक्टेयर किस्म चारागाह, खसरा नम्बर 1124/1123 रकबा 0.0930 हैक्टेयर किस्म चारागाह है जो सरकारी खाते में दर्ज है। मौके पर खसरा नम्बर 378 रकबा 13 बिस्वा भूमि पर धर्मशाला बनी हुई है तथा खसरा नम्बर 1125/1123 रकबा 0.5059 हैक्टेयर में से 1–13 बीघा भूमि पर धर्मशाला से चिपती चारदीवारी बनी हुई है। मौके पर धर्मशाला व चारदीवारी बनी हुई है जो सार्वजनिक धार्मिक व जनसेवा के लिए बनी हुई है जो राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। उक्त राजस्व विधिक मामला अनुसार वाद में वर्णित पट्टा ठिकाना खानपूर के पड़ौस के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड से मिलान करने पर मौके पर वर्णित पट्टा व राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खसरा नम्बर 378 रकबा 13 बिस्वा पर धर्मशाला बनी हुई है तथा 1125/1123 रकबा 0.5059 हैक्टेयर में से 1–13 बीघा भूमि पर धर्मशाला से चिपती चारदीवारी बनी हुई है जो पट्टा अनुसार मिलान होता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी लाडनूं से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते दर्ज होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक **18.11.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

18.11.2025

(डॉ0 महेन्द्र खड़गावत, IAS)
जिला कलक्टर,
डीडवाना–कुचामन
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2026.04.01 15:00:42 IST
Reason: SelfAttested